कार्यालय नगर विकास न्यास, भिवाडी

संशोधित भवन निर्माण, अनुमति पत्र

क्रमांकः आयोजना/ 5646/17 दिनांकः 11/9/17

मैसर्स सनसिस्टम इंस्ट्टीयूट ऑफ इंफोर्मेशन
एण्ड टैक्नोलोजी प्रा0 लि0,
53, तेजमण्डी, सदर थाना रोड
अलवर (राजस्थान)

विषयः– डॉ वी0के0 अग्रवाल प्रबंधक निदेशक मै0 सनसिस्टम इंस्टीयूट ऑफ इंफोर्मेशन एण्ड टैक्नोलोजी प्रा0 लि0 खसरा नं0 285/65, 393/287, ग्राम बीरनवास तह0 कोटकासिम जिला अलवर के अर्फोडबेल हाउसिंग पॉलिसी 2009 के तहत 52 प्रतिशत सहभागिता आवासीय योजना को छोडकर शेष 48 प्रतिशत भूखण्ड के संशोधित भवन मानचित्रों की समयावधी बढाने की स्वीकृति बाबत।

सन्दर्भः– आपका प्रार्थना पत्र दिनांक 22.09.2015

उपरोक्त विषयान्तर्गत लेख है कि मै0 सनसिस्टम इंस्टीयूट ऑफ इंफोर्मेशन एण्ड टैक्नोलोजी प्रा0 लि0 खसरा नं0 285/65, 393/287, ग्राम बीरनवास तह0 कोटकासिम जिला अलवर के अर्फोडबेल हाउसिंग पॉलिसी 2009 के तहत 52 प्रतिशत सहभागिता आवासीय योजना को छोडकर शेष 48 प्रतिशत भूखण्ड के संशोधित भवन मानचित्रों की समयावधी बढाने आवेदन प्रस्तुत किया गया था। उक्त परियोजना के समयावधि बढाने हेतु संशोधित भवन मानचित्रों को भवन मानचित्र समिति की 60वी बैठक दिनांक 17.08.2017 में रखा जाकर बैठक के निर्णय अनुसार प्रकरण में पूर्व स्वीकृत भवन मानचित्रों की समयावधि 2 वर्ष बढाये जाने की स्वीकृति प्रदान की जाती है।

वरि0 नगर नियोजक
नगर विकास न्यास,
भिवाडी

संलग्नः– भवन मानचित्र (–)

क्रमांकः आयोजना/ दिनांकः

प्रतिलिपि अधिशाषी अभियन्ता, नगर विकास न्यास, भिवाड़ी को सूचनार्थ एवं आवश्यक कार्यवाही हेतु।

वरि0 नगर नियोजक
नगर विकास न्यास,
भिवाडी

कार्यालय नगर विकास न्यास, भिवाडी

भवन निर्माण, अनुमति पत्र

क्रमांकः आयोजना/ 2271/12 दिनांकः 21/8/12

मैसर्स सनसिस्टम इंस्ट्टीयूट ऑफ इंफोर्मेशन एण्ड टैक्नोलोजी प्रा0 लि0,
53, तेजमण्डी, सदर थाना रोड
अलवर (राजस्थान)

विषयः– खसरा नं0 285/65, 393/287, ग्राम बीरनवास तह0 कोटकासिम जिला अलवर के अर्फोडबेल हाउसिंग पॉलिसी 2009 के तहत 52 प्रतिशत सहभागिता आवासीय योजना के 40 प्रतिशत ईडब्ल्यूएस/एलआईजी के 5 प्रतिशत में व्यवसायिक एवं 48 प्रतिशत भूखण्ड के संशोधित भवन मानचित्र अनुमोदन बाबत।

सन्दर्भः– आपका प्रार्थना पत्र दिनांक 04.05.2012

आपके आवेदन पत्र दिनांक 04.05.2012 के द्वारा खसरा नम्बर 285/65, 393/287 ग्राम बीरनवास तह0 कोटकासीम जिला अलवर, में इस कार्यालय द्वारा पूर्व में अर्फोडेबल हाउसिंग पॉलिसी 2009 के तहत स्वीकृत योजना लेआउट प्लान के अनुसार निम्न भवन मानचित्र स्वीकृति हेतु प्रस्तुत किये गये हैं।

1. 52 प्रतिशत सहभागिता आवासीय योजना क्षेत्र में व्यावसायिक आरक्षित किये गये भाग में व्यावसायिक प्रयोजन हेतु भूतल, प्रथम तल व द्वितीय तल का भवन मानचित्र।
2. 48 प्रतिशत क्षेत्र में एम.आई.जी.–बी, व्यावसायिक व सामुदायिक केन्द्र हेतु स्वीकृत ब्लाकस में पूर्व में इस कार्यालय के पत्र दिनांक 11.04.2011 द्वारा स्वीकृत भवन मानचित्रों के संशोधित भवन मानचित्र।

उक्त भवन मानचित्रो को भवन मानचित्र समिति की 24वी बैठक दिनांक 31.07.2012 में लिये गये निर्णयानुसार निम्न शर्तो के साथ स्वीकृती प्रदान की जाती हैः–

1. पूर्व में इस कार्यालय के पत्र दिनांक 11.04.2011 द्वारा जारी भवन मानचित्र निरस्त करते हुये यह संशोधित भवन मानचित्र स्वीकृति जारी की जाती है।
2. उक्त स्वीकृती पूर्व स्वीकृती दिनांक 11.04.2011 से 5 वर्ष के लिये मान्य होगी।
3. भवन निर्माण स्वीकृत मानचित्रों एवं भवन विनिमय 2010 के अनुसार ही किया जावेगा तथा किसी भी प्रकार का उल्लंघन (डेवियेंशन) नहीं किया जायेगा।
4. गलत तथ्यों पर प्राप्त की गई अथवा तथ्यों को छुपाकर प्राप्त की गई स्वीकृति स्वतः ही निरस्त मानी जाएगी एवं ऐसी निर्माण स्वीकृति प्राप्त करने के लिए आवेदनकर्ता को दोषी माना जाएगा।
5. भूखण्ड के स्वामी एवं मानचित्र तैयार करने वाले तकनीकीविज्ञ का कर्त्तव्य होगा कि वो यह सुनिश्चित कर ले कि स्वीकृति प्रचलित मास्टर प्लान/भवन विनियमों के अनुरूप है कोई उल्लंघन जानकारी में नहीं है, न्यास को अधिकार होगा कि किसी स्थिति में उल्लंघन की जानकारी होने पर भवन मानचित्रों की दी गयी अनुज्ञा रद्द/बदली जा सकती है तथा प्रार्थी न्यास में किसी भी प्रकार की क्षतिपूर्ति का हकदार नही होगा।
6. उक्त स्वीकृति के कारण यदि न्यास को किसी न्यायालय, सक्षम अधिकारी तथा नगर भूमि (अधिकतम सीमा एवं विनियम) अधिनियम के तहत नियुक्त अधिकारी के समक्ष किसी कार्यवाही में कोई भी खर्च, नुकसान, मुआवजा देना पडे या देने योग्य हो तो प्रार्थी उनकी इस क्षति को पूर्ण करने के लिए बाध्य होगा।
7. भवन निर्माणकर्ता द्वारा प्लिन्थ लेवल एवं समय समय पर निर्माण पूर्ण होने की सूचना निर्धारित प्रपत्र में आवश्यक रूप से न्यास को दी जानी होगी, यदि इसकी अनुपालना भवन निर्माता द्वारा नहीं की जाती है तो जारी अनुज्ञा को निरस्त समझा जावेगा।

SETBACKS & OTHER BUILDING PARAMETERS AS PER AFFORDABLE HOUSING POLICY-2009
SAHBHAGITA-AVAS YOJNA
APPROACH TO BE PROVIDED FROM OWNERS (48%) LAND

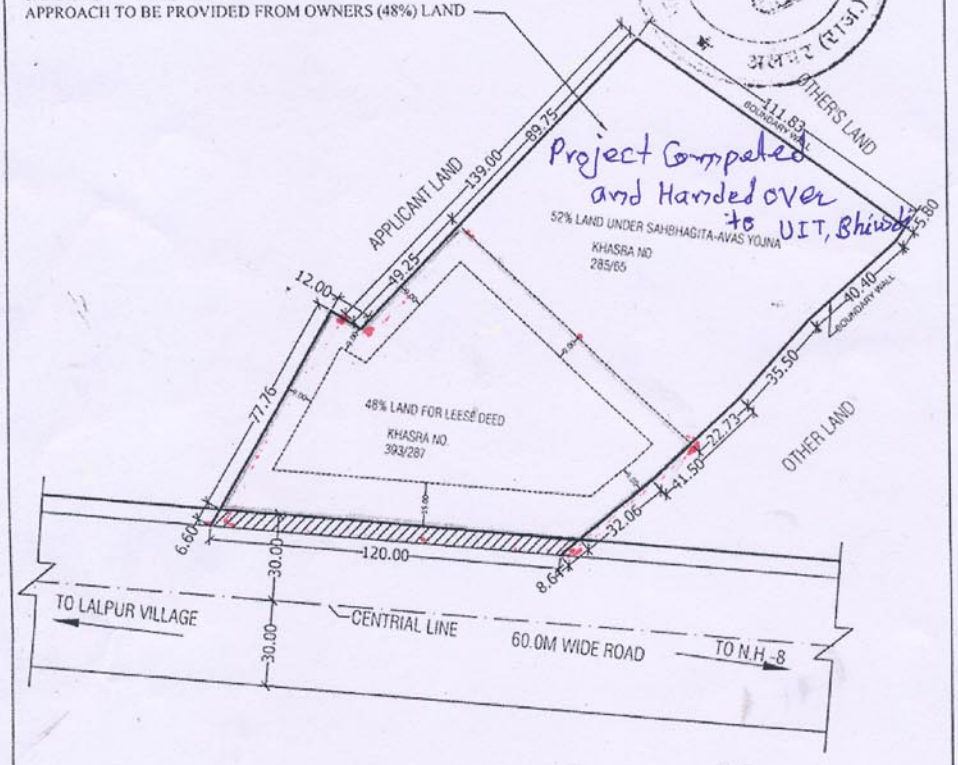

1. TOTAL AREA =21200.00 SQM
2. NET PLOT AREA =20469.51 SQ M
3. SURRENDER IN 60.0M WIDE ROAD AREA=730.49M
   52% LAND SURRANDERD FOR AFFORDABLE HOUSING POLICY AREA=10644.14 SQM
   48% LAND-LEESE DEED AREA =9825.36 SQM

SITE PLAN FOR M/S SUN SYSTEM INSTITUTE OF INFORMATION & TECHNOLOGY (P) LTD.
OF KHASRA NO-393/287, 285/65
AT VILLAGE VEERANWAS TEH. KOTKASIM, DIST. ALWAR (RAJ.)

SR. DRAFTSMAN U.I.T BHIWADI	A T P U.I.T BHIWADI	EX.ENGINEER U.I.T BHIWADI	D T P U.I.T BHIWADI

SCALE :- 1CM : 20MT

URBAN IMPROVEMENT TRUST BHIWADI

उप नगरीय
कोटकासिम (अलवर)

SETBACKS & OTHER BUILDING PARAMETERS AS PER AFFORDABLE HOUSING POLICY-2009
SAHBHAGITA-AVAS YOJNA
APPROACH TO BE PROVIDED FROM OWNERS (48%) LAND

1. TOTAL AREA =21200.00 SQM
2. NET PLOT AREA =20469.51 SQ M
3. SURRENDER IN 60.0M WIDE ROAD AREA=730.49M
   52% LAND SURRANDERD FOR AFFORDABLE HOUSING POLICY AREA=10644.14 SQM
   48% LAND-LEESE DEED AREA =9825.36 SQM

SITE PLAN FOR M/S SUN SYSTEM INSTITUTE OF INFORMATION & TECHNOLOGY (P) LTD.
OF KHASRA NO-393/287, 285/65
AT VILLAGE VEERANWAS TEH. KOTKASIM, DIST. ALWAR (RAJ.)

SR. DRAFT'SMAN U.I.T BHIWADI	A T P U.I.T BHIWADI	EX.ENGINEER U.I.T BHIWADI	D T P U.I.T BHIWADI

SCALE :- 1CM : 20MT

URBAN IMPROVEMENT TRUST BHIWADI

उप पंजियक
कोटकासिम (अलवर)

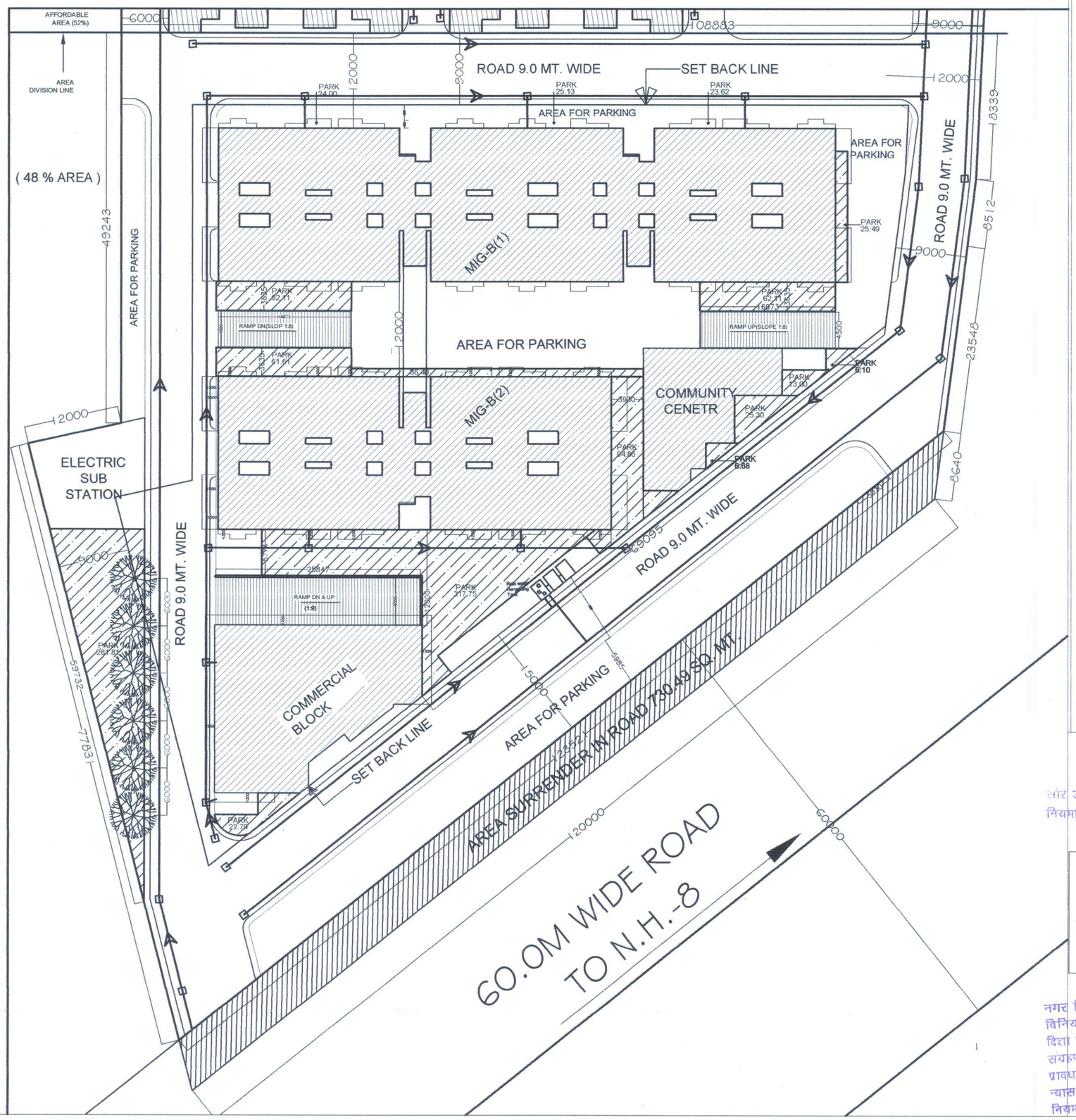

TOTAL PLOT AREA (100%)= 20469.51 sq.mt.						
MIG-B						
PLOT AREA FOR MIG-B & COMMERCIAL (48%)= 9825.36 sq.mt.						
PERMISSIBLE F.A.R. (3.6) = 3.63/9825.36 = 35371.29 SQ.MT.						
ACHIEVED F.A.R (2.08)= 20446.98 SQ.MT. *(1.52 TDR Extra)						
PERMISSIBLE GROUND COVERAGE (35% of Plot Area)= 3438.87 SQ.MT.						
ACHIEVED GROUND COVERAGE (29.64%)= 2912.65 SQ.MT.						
	B.U.A. SQ.MT.			F.A.R. SQ.MT.		
FLOOR	MIG-B(1) +MIG-B(2)	COMMERCIAL	COMMUNITY	MIG-B(1) +MIG-B(2)	COMMERCIAL	COMMUNITY
BASEMENT FLOOR	3301.00	437.92	00.00	00.00	00.00	00.00
GROUND FLOOR	2465.53	437.32	215.13	00.00	295.06	00.00
FIRST FLOOR	2447.12	514.28	215.13	1867.87	371.97	188.78
SECOND FLOOR	2447.12	514.28	215.13	1867.87	390.83	188.78
THIRD FLOOR	2447.12	506.40		1867.87	332.86	
FOURTH FLOOR	2447.12			1867.87		
FIFTH FLOOR	2447.12			1867.87		
SIXTH FLOOR	2447.12			1867.87		
SEVENTH FLOOR	2447.12			1867.87		
EIGHTH FLOOR	2447.12			1867.87		
NINTH FLOOR	2447.12			1867.87		
TENTH FLOOR	2447.12			1867.87		
TOTAL	30237.73	2410.20	645.39	18678.7	1390.72	377.56

TOTAL NO. OF FLATS = 300

MIG. PARKING REQUIRED

TOTAL ECU REQUIRED= TOTAL FAR AREA / 75*1.25 = 18678.7/75*1.25
= 249.04X 1.25 =311.3 SAY 312 ECU

MIG-B BASEMENT ECU PERMISSIBLE= PARKING AREA / 35
= 3301.22 / 35
= 94.32 SAY 94 ECU
MIG-B (1) STILT ECU PERMISSIBLE= PARKING AREA / 30
= 1411.65 / 30
= 47.05 SAY 47 ECU
MIG-B (2) STILT ECU PERMISSIBLE= PARKING AREA / 30
= 890.01 / 30
= 29.66 SAY 30 ECU

COMMERCIAL PARKING REQUIRED
TOTAL ECU REQUIRED= TOTAL FAR AREA / 50*1.25 = 1390.72/50*1.25
= 27.81X 1.25 = 34.76 SAY 35 ECU
BASEMENT ECU PERMISSIBLE= PARKING AREA / 35
= 521.99 / 35
= 14.91 SAY 15 ECU

COMMUNITY PARKING REQUIRED
TOTAL ECU REQUIRED= TOTAL FAR AREA / 75*1.25 = 377.56/75*1.25
= 5.03X 1.25 = 6.29 SAY 6 ECU

TOTAL PARKING REQUIRED
= MIG. PARKING + COMMERCIAL PARKING+COMMUNITY PARKING
= 312 +35+6 = 353 ECU
50% MECHANICAL PARKING = 176 ECU
50% OPEN, STILT & BASEMENT PARKING = 177

PARKING PROVIDED=
50% MECHANICAL PARKING =MIG B BASEMENT+OPEN
= 94+80 =174 ECU
BASEMENT PARKING = 23 ECU + (24) 8 ECU =31 ECU
OPEN PARKING = 61 ECU =61 ECU
STILIT PARKING = MIG B(1)+MIG B(2)+COMMUNITY
= 41 ECU +60 2 ECU+28 ECU+5 ECU =76 ECU
BASEMENT PARKING(COMMERCIAL) = 7 ECU+(12) 4 ECU = 11 ECU
TOTAL PARKING PROVIDED =174 ECU +31 ECU+61 ECU +76 ECU+ 11 ECU = 353 ECU

अनुमोदित नियमबद्ध

सहायक नगर नियोजक
नगर विकास न्यास,
भिवाडी

उपनगर नियोजक
नगर विकास न्यास
भिवाड़ी

वरिष्ठ नगर नियोजक
नगर विकास न्यास
भिवाडी (अलवर)

Adequate Light and Vantilation to be Provided as per N.B.C. Norms.

ओर ऊर्जा से पानी गर्म करने का नियमानुसार प्रावधान किया जावे।

Parking Area Will Be UIT's Property

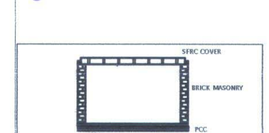

TYPICAL DETAIL OF DRAIN SECTION
FLOW DIRECTION
DRAIN NODE
D-44 DRAIN NO.

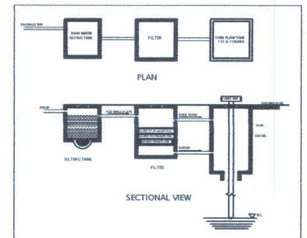

RAIN WATER HARVESTING STRUCTURE

नगर विकास न्यास, भिवाडी भवन विनियम 2008 की धारा 8.15 के दिशा निर्देशों के अनुसार वर्षाजल संग्रहण का प्रावधान भवन में विशेष प्रावधान रखा जाये अन्यथा ग0 वि0 न्यास द्वारा भवन मिलोंका के विरूद्ध नियमानुसार कार्यवाही की जायेगी।

SHEET NO. - 01

TITLE :-

SITE PLAN
(MIG-B, COMMERCIAL & COMMUNITY)

In Compliance of Layout Plan/ Building Plan Committee Dt. 31.07.12
One Set of Building Plans Approved is Issued Along-With Letter No. 2271/12 Dt. 21.08.12

THESE PLANS ARE VALID ONLY UPTO FIVE YEAR FROM DATE OF ~~ISSUE~~ 11.04.11

"जारी किये गये अनुमोदित नक्शा-चित्रों में दर्शाये गये भवन निर्माण की संरचना (STRUCTURE) का दायित्व प्रार्थी का ही होगा।"

भारत सरकार की अधिसूचना दिनांक 14.09.2006 की पालना में [illegible] दिनांक 04.02.2011 [illegible] से अधिक का निर्माण [illegible] "पर्यावरण प्रभाव पत्र" अनापत्ति [illegible] प्राप्त किया जाना अनिवार्य होगा।

पेड़ लगाओ-हरियाली बढ़ाओ

Applicants Should get the construction checked at plinth level before proceeding for further construction.

पार्किंग क्षेत्र का उपयोग केवल पार्किंग हेतु किया जावेगा।

विद्युत सेवा, नलकारी एवं जल, मल निकास सेवाऐ नेशनल बिल्डिंग कोड ऑफ इण्डिया के उपबंधो के अनुसार होगी।

Rain Water Harvesting Unite Shall be Provided as per Rules.

इस मानचित्र का अनुमोदन किसी भी भांति प्रशनगत भूमि/भूखण्ड के प्रति स्वामित्व का प्रमाण-पत्र नहीं माना जावेगा। और न ही इससे किसी के स्वामित्व सम्बन्धी अधिकारी को प्रभावित होगे।

विद्युत सेवा में नलकारी एवं,जल,मल,निकास अग्नि शमन आदि सेवाऐं नेशनल बिल्डिंग कोड ऑफ इण्डिया के प्रावधानों/भवन विनियमों के प्रावधानों/सम्बन्धित विभागो के प्रावधानों को सुनिश्चित किया जावेगा।

TITLE:- SUBMISSION DRAWINGS

SITE PLAN
(MIG-B, COMMERCIAL & COMMUNITY)

SCALE:- 1: 400 | DATE : 3-08-12

PROJECT:-
HOUSING AT KOTKASIM, ALWAR

NORTH :

ARCHITECTS:-
YASHI CONSULTING SERVICES PRIVATE LIMITED
D-44, SUBHASH MARG
C-SCHEME
JAIPUR-302001

OWNER
for Sun System Institute of Information Technology Private Limited
V.K. Agarwal
Chairman/Director
M/S SUN SYSTEM INSTITUTE OF INFORMATION & TECHNOLOGY (P) LTD.

ARCHITECTS
AR. KAVITA JAIN
CA/96/20258

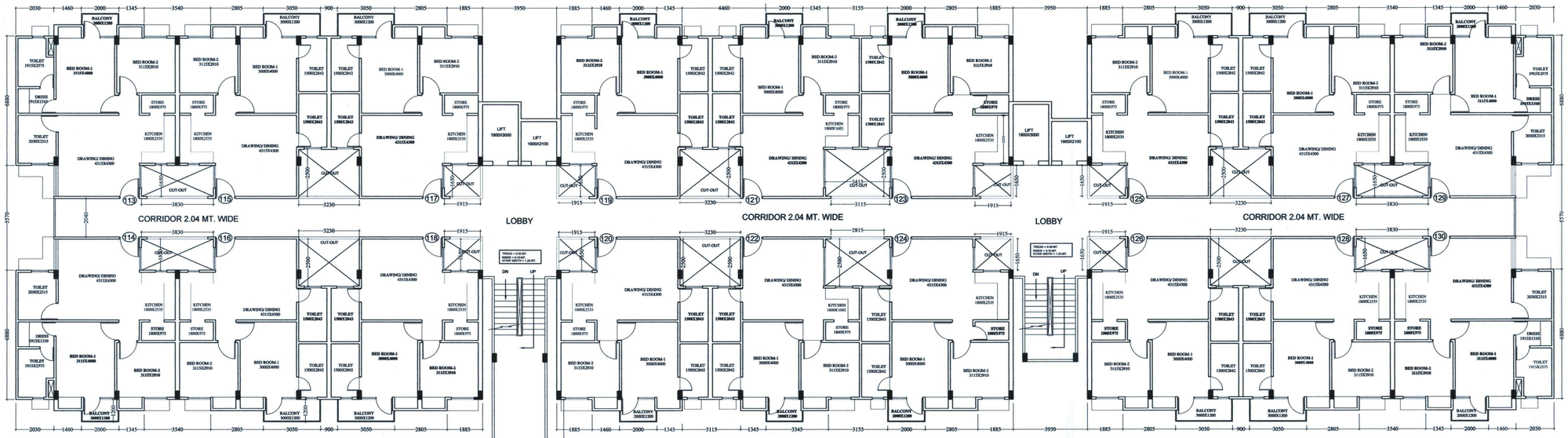

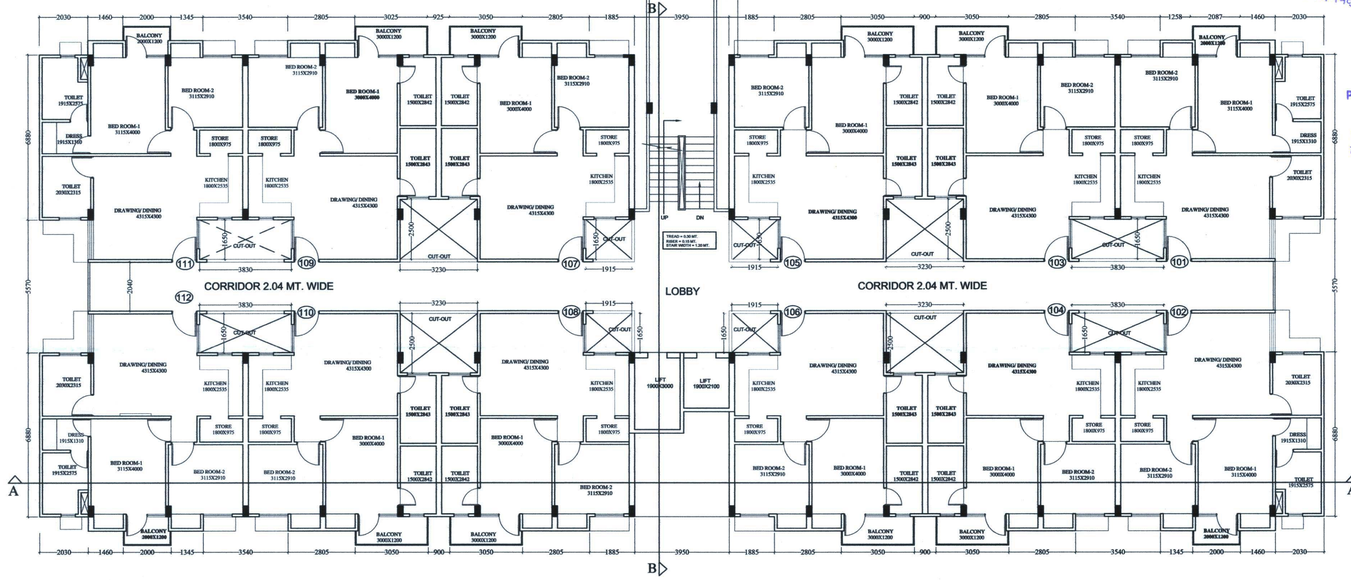

In Compliance of Layout Plan/
Building Plan Committee Dt. 31/7/12
One Set of Building Plans
Approved is Issued Along-With
Letter No. 2271/12 Dt. 21/8/12

अनुमोदित

नियमबद्ध

THESE PLANS ARE VALID ONLY UPTO FIVE YEAR FROM DATE OF ISSUE 11.04.20 M

Adequate Light and Vantilation to be Provided as per N.B.C. Norms.

Parking Area Will Be UTI's Property

सौर ऊर्जा से पानी गरम करने का नियमानुसार प्रावधान किया जावे।

"जारी किये गये अनुमोदित मान-चित्रों में दर्शाये गये भवन निर्माण की संरचना (STRUCTURE) का दायित्व प्रार्थी का ही होगा।"

पेड़ लगाओ-हरियाली बढ़ाओ

Applicants Should get the construction checked at plinth level before proceeding for further construction.

पार्किंग क्षेत्र का उपयोग केवल पार्किंग हेतु किया जावेगा।

विद्युत सेवा, नलकारी एवं जल, मल निकास सेवाएं नेशनल बिल्डिंग कोड ऑफ इण्डिया के उपबंधों के अनुसार होगी।

Rain Water Harvesting Unite Shall be Provided as per Rules.

सहायक नगर नियोजक
नगर विकास न्यास,
भिवाड़ी

उपनगर नियोजक
नगर विकास न्यास
भिवाड़ी

वरिष्ठ नगर नियोजक
नगर विकास न्यास
भिवाड़ी (अलवर)

इस मानचित्र का अनुमोदन किसी भी भाँति प्रशानगत भूमि/भूखण्ड के प्रति स्वामित्व का प्रमाण-पत्र नहीं माना जायेगा। और न ही सम्बन्धित किसी के स्वामित्व सम्बन्धी अधिकारों से प्रभावित होगे।

विद्युत सेवा में नलकारी एवं,जल,मल,निकास, अग्नि शमन आदि सेवायें नेशनल बिल्डिंग कोड ऑफ इण्डिया के प्रावधानों/मानक विनियमों के प्रावधानों/सम्बन्धित विभागों के प्रावधानों को सुनिश्चित किया जायेगा।

नगर विकास न्यास, भिवाड़ी भवन विनियम 2050 की धारा 8.15 के दिशा निर्देशों के अनुसार सम्पूर्ण संयंत्रण का प्रावधान करने में विशेष प्रावधान रखा जाये। उक्त धा० वि० न्यास द्वारा भवन निर्माता के विरुद्ध विधानुसार कार्यवाही की जावेगी।

TYPICAL FLOOR (1st TO 10th)

भारत सरकार की अधिसूचना दिनांक 14.09.2006 की पालना में राजस्थान सरकार के पर्यावरण विभाग के पत्रांक दिनांक 04.02.2011 के अनुसार उक्त परियोजना के पूर्व पर्यावरण प्रभाव का निर्माण प्रारम्भ करने से पूर्व पर्यावरण प्रभाव पत्र" अनापत्ति प्रमाण पत्र आवेदक द्वारा प्राप्त किया जाना अनिवार्य होगा।

SHEET NO. - 04

TITLE :-
TYPICAL FIRST TO TENTH FLOOR PLAN(MIG-B)

TITLE:- SUBMISSION DRAWINGS
TYPICAL FIRST TO TENTH FLOOR PLAN(MIG-B)

SCALE:- 1: 100 | DATE : 27-07-12

PROJECT:-
HOUSING AT KOTKASIM, ALWAR

NORTH :

ARCHITECTS:-
YASHI CONSULTING SERVICES PRIVATE LIMITED
D-44, SUBHASH MARG
C-SCHEME
JAIPUR-302001

OWNER
For Sun System Institute of Information Technology Private Limited
Chairman/Director
M/S SUN SYSTEM INSTITUTE OF INFORMATION & TECHNOLOGY (P) LTD.

ARCHITECTS
Kavita Jain
Ar. KAVITA JAIN
CA/96/20250

MECHNICAL PARKING

MECHNICAL PARKING

MECHNICAL PARKING

MECHNICAL PARKING

MECHNICAL PARKING

MECHNICAL PARKING

MECHNICAL PARKING

MECHNICAL PARKING

1 2750 6-7 8-9 14 15 20-21 22 27-28 29 34-35 36-37 42

43 48-49 50-51 56 57 60-61 62-63 66 67 72-73 74-75 80

1 1000 2000 12 1 2

3000 3000

7165

5500

2750

2100

4500

RAMP DN (SLOP 1:8)

24390

R3506

3520

RAMP UP (SLOP 1:8)

2- WHEELER PARKING

13 1000 2000 24

81 86-87 88-89 94

MECHNICAL PARKING

MECHNICAL PARKING

3 4 5 9

3000 3000

7170

10 16 17 23

A A

B B

MECHANICAL PARKING AT BASEMENT FLOOR

STILT FLOOR LVL. +0.60 MT. LVL.

STILT FLOOR LVL. -3.30 MT. LVL.

3897 1874 1874

FRONT ELEVATION

STILT FLOOR LVL. +0.60 MT. LVL.

ROAD LVL. ±0.00 MT. LVL.

3897 1874 1874 5726

STILT FLOOR LVL. -3.30 MT. LVL.

SIDE ELEVATION

भारत सरकार की अधिसूचना दिनांक 14.09.2006 की पालना में सक्षम प्राधिकारी का पर्यावरण दिनांक 04.02.2011 को स्वीकृत प्रमाण पत्र से अधिक का निर्माण प्रारम्भ करने से पूर्व पर्यावरण प्रमाण पत्र अनापत्ति प्रमाण पत्र का अभिप्राय प्राप्त किया जाना अनिवार्य होगा।

नगर विकास न्यास, भिवाड़ी नियम विनियम 2000 की धारा 8.15 के दिशा निर्देशों के अनुसार ग्रेवाजल संग्रहण का प्रस्तावित स्थान में विशेष परिवर्तन होने पर न्यास द्वारा भवन निर्माता के विरूद्ध नियमानुसार कार्यवाही की जावेगी।

SHEET NO. - 03

TITLE :-

BASEMENT FLOOR PLAN (MIG-B)

In Compliance of Layout Plan/ Building Plan Committee Dt. 31.07.12 One Set of Building Plans Approved is Issued Along-With Letter No 2271/12 Dt. 21.08.12

THESE PLANS ARE VALID ONLY UPTO FIVE YEAR FROM DATE OF ISSUE 11.04.11

Adequate Light and Vantilation to be Provided as per N.B.C. Norms.

Parking Area Will Be UIT's Property

सौर ऊर्जा से पानी गरम करने का नियमानुसार प्रावधान किया जावे।

"जारी किये गये अनुमोदित नक्ष-चित्रों में दर्शाये गये भवन निर्माण की संरचना (STRUCTURE) का दायित्व प्रार्थी का ही रहेगा।"

पेड़ लगाओ-हरियाली बढ़ाओ

Applicants Should get the construction checked at plinth level before proceeding for further construction.

पार्किंग क्षेत्र का उपयोग केवल पार्किंग हेतु किया जावेगा।

विद्युत सेवा, नलकारी एवं जल, मल निकास सेवाएं नेशनल बिल्डिंग कोड ऑफ इण्डिया के उपबंधों के अनुसार होगी।

Rain Water Harvesting Unite Shall be Provided as per Rules.

इस मानचित्र का अनुमोदन किसी भी भांति प्रधानगर भूमि/भूखण्ड के प्राप्ति स्वामित्व का प्रमाण-पत्र नहीं माना जावेगा। और न ही, उक्त जमीन के स्वामित्व सम्बन्धी अधिकारों को प्रभावित होगें।

सहायक नगर नियोजक नगर विकास न्यास, भिवाड़ी

उपनगर नियोजक नगर विकास न्यास भिवाड़ी

वरिष्ठ नगर नियोजक नगर विकास न्यास भिवाड़ी (अलवर)

विद्युत सेवा में नलकारी एवं जल, मल निकास अग्नि शमन आदि सेवाएं नेशनल बिल्डिंग कोड ऑफ इण्डिया को प्रावधानों/संबन्धित विनियमों के प्रावधानों को सुनिश्चित किया जावेगा।

अनुमोदित नियमबद्ध

TITLE:- SUBMISSION DRAWINGS

BASEMENT FLOOR PLAN (MIG-B)

SCALE:- 1: 100	DATE : 27-07-12

PROJECT:-
HOUSING AT KOTKASIM, ALWAR

NORTH :

ARCHITECTS:-

YASHI CONSULTING SERVICES PRIVATE LIMITED
D-44, SUBHASH MARG
C-SCHEME
JAIPUR-302001

OWNER

For Sun System Institute of Information Technology Private Limited

Chairman/Director

M/S SUN SYSTEM INSTITUTE OF INFORMATION & TECHNOLOGY (P) LTD.

ARCHITECTS

AR. KAVITA JAIN
CA/96/20250

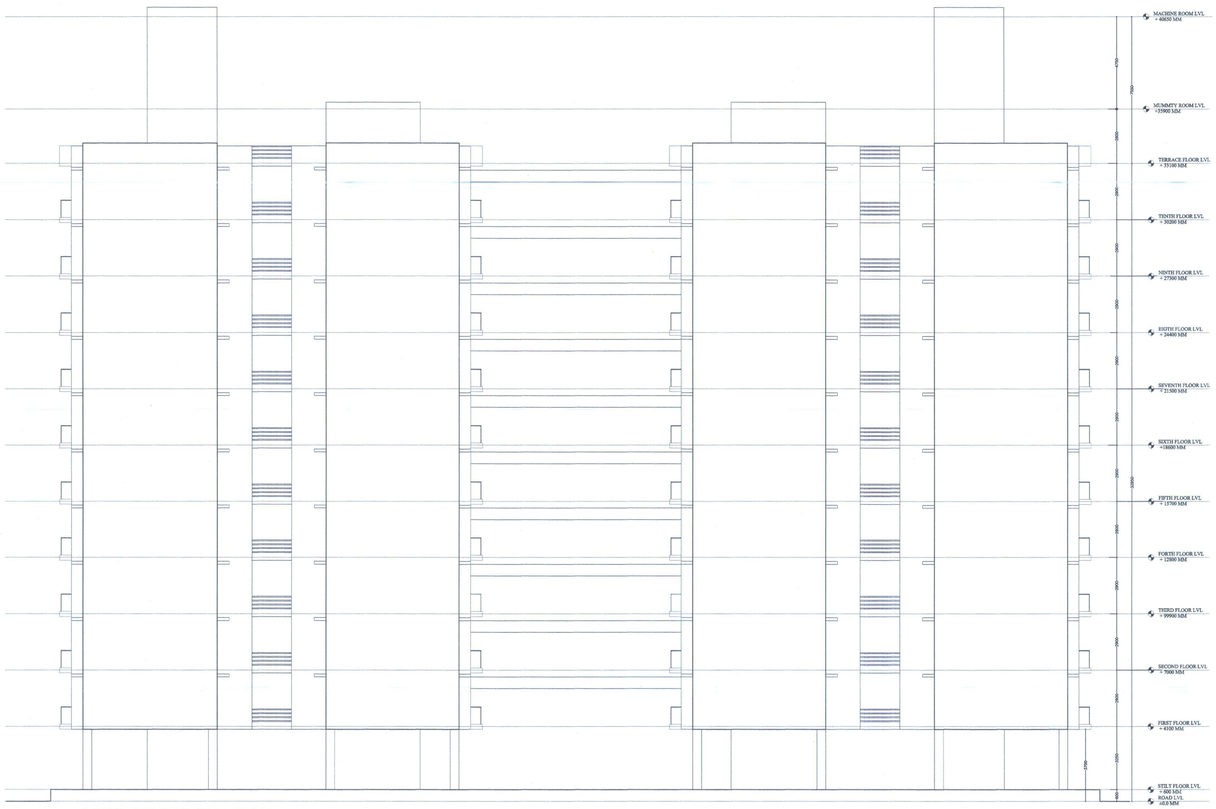

LEFT SIDE ELEVATION

FRONT ELEVATION

In Compliance of Layout Plan/ Building Plan Committee Dt. 31.07.12 One Set of Building Plans Approved is Issued Along-With Letter No. 23/12 Dt. 21.8.12

THESE PLANS ARE VALID ONLY UPTO FIVE YEAR FROM DATE OF ISSUE 11.04.11

Adequate Light and Ventilation to be Provided as per N.B.C. Norms.

Parking Area Will be UIT's Property

सोर ऊर्जा से पानी गरम करने का नियमानुसार प्रावधान किया जावे।

"यदी किसे भवे अनुमोदित मान-चित्रों में खाँचे गये भवन निर्माण की संरचना (STRUCTURE) का दायित्व उसी का ही होगा।"

Applicants should get the construction checked at plinth level before proceeding for further construction.

पार्किंग क्षेत्र का उपयोग केवल पार्किंग हेतु किया जावेगा।

विद्युत लोड, मलवाही नाद तल, भवन निकास संबंधी शेषान्त विनियम कोड अंक इकिकता के उपबन्धों के अनुसार होगी।

Rain Water Harvesting Units Shall be Provided as per Rules.

इस मानचित्र का अनुमोदन किसी भी भांति प्रभावशाली व्यक्ति को भूमि स्वामित्व का प्रमाण नहीं मानना चाहिये। और न ही इससे किसी से स्वामित्व सम्बन्धी अधिकारों की प्रमाणिता होगी।"

विद्युत लोड में संरचनाओं एवं,सेल्लर, भवन,निकास आदि सम्बन्धी शेषान्त विनियम कोड अंक इकिकता एवं प्रावधानों/उपबन्धित नियमों के प्रावधानों को सूनिश्चित किया जायेगा।

अनुमोदित

सहायक नगर नियोजक
नगर विकास न्यास,
भिवाडी

नियमबद्ध

उपनगर नियोजक
नगर विकास न्यास
भिवाड़ी

वरिष्ठ नगर नियोजक
नगर विकास न्यास
भिवाडी (अलवर)

भवन विकास न्यास, भिवाड़ी भवन विनियम 2010 की धारा 8.15 के दिये गये नियमों के अधीन निर्माण संबंधित मानचित्र में विशेष ध्यानाकर्षण हेतु अंकित किये गये विन्दु भवन निर्माण के विरुद्ध निरस्तुदर कार्यवाही की जायेगी।

भवन संख्या ... को अनुमति दिनांक 14.09.2006 को पत्रांक ... के अधीन दिनांक 04.05.2007 से ... का दिनांक ... तक ... प्रयोग पत्र अस्थायी ... द्वारा प्राप्त किया जाना अनिवार्य होगा।

पेड़ लगाओ-हरितिमा बढ़ाओ

TITLE:- SUBMISSION DRAWINGS	
ELEVATION (MIG-B)	
SCALE:- 1: 100	DATE : 27-07-12
PROJECT:- HOUSING AT KOTKASIM, ALWAR	NORTH :

ARCHITECTS:-

YASHI CONSULTING SERVICES PRIVATE LIMITED
D-44, SUBHASH MARG
C-SCHEME
JAIPUR-302001

OWNER	ARCHITECTS
For Sun System Institute of Information Technology Private Limited Chairman/Director	Kavita Jain AR. KAVITA JAIN CA/96/20258
M/S SUN SYSTEM INSTITUTE OF INFORMATION & TECHNOLOGY (P) LTD.	

SHEET NO. - 06

TITLE :-
ELEVATION (MIG-B)

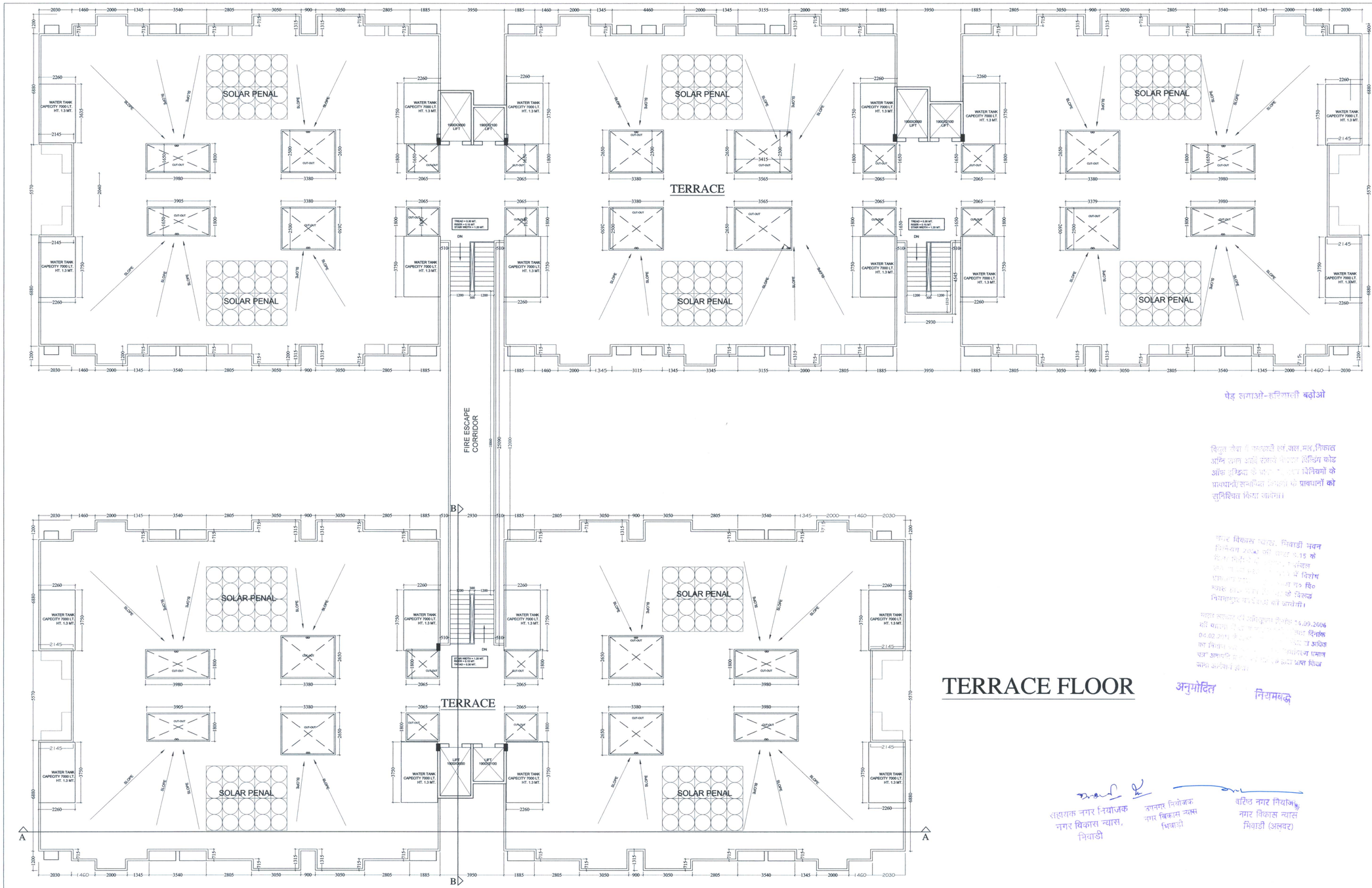

TERRACE FLOOR

SHEET NO. - 5

TITLE :-

TERRACE FLOOR PLAN (MIG-B)

In Compliance of Layout Plan/ Building Plan Committee Dt. 31/7/2012 One Set of Building Plans Approved is issued Along-With Letter No. 2271/12 Dt. 21.8.12

THESE PLANS ARE VALID ONLY UPTO FIVE YEAR FROM DATE OF ~~ISSUE~~ 11.04.11

Adequate Light and Vantilation to be Provided as per N.B.C. Norms.

Parking Area Will Be UTI's Property

पार्किंग क्षेत्र का उपयोग केवल पार्किंग हेतु किया जावेगा।

Applicants Should get the construction ... checked at plinth level bef... ing for further c...

"सारी छिले हुये ... मल-निकास (STRUCTURE) ... होगी।"

पेड़ लगाओ-हरियाली बढ़ाओ

विद्युत तथा ... जल,मल,निकास आदि अन्य ... बिल्डिंग कोड ऑफ इण्डिया ... प्रावधानों/सम्बन्धित ... प्रावधानों को सुनिश्चित किया जावेगा।

... विकास न्यास, भिवाड़ी भवन ... 15 के ... में विशेष ... दि० ... के विरुद्ध ... होगी।

... 14.09.2006 ... दिनांक ... आदेश ... उद्देश्य प्रमाण ... किया जाये।

अनुमोदित

नियमबद्ध

सहायक नगर नियोजक नगर विकास न्यास, भिवाड़ी

सहायक नगर नियोजक नगर विकास न्यास भिवाड़ी

वरिष्ठ नगर नियोजक नगर विकास न्यास भिवाड़ी (अलवर)

TITLE:- SUBMISSION DRAWINGS

TERRACE FLOOR PLAN (MIG-B)

SCALE:- 1: 100 | DATE : 27-07-12

PROJECT:-
HOUSING AT KOTKASIM, ALWAR

NORTH :

ARCHITECTS:-
YASHI CONSULTING SERVICES PRIVATE LIMITED
D-44, SUBHASH MARG
C-SCHEME
JAIPUR-302001

OWNER
For Sun System Institute of Information Technology Private Limited
Chairman/Director
M/S SUN SYSTEM INSTITUTE OF INFORMATION & TECHNOLOGY (P) LTD.

ARCHITECTS
Ar. KAVITA JAIN
CA/96/20258

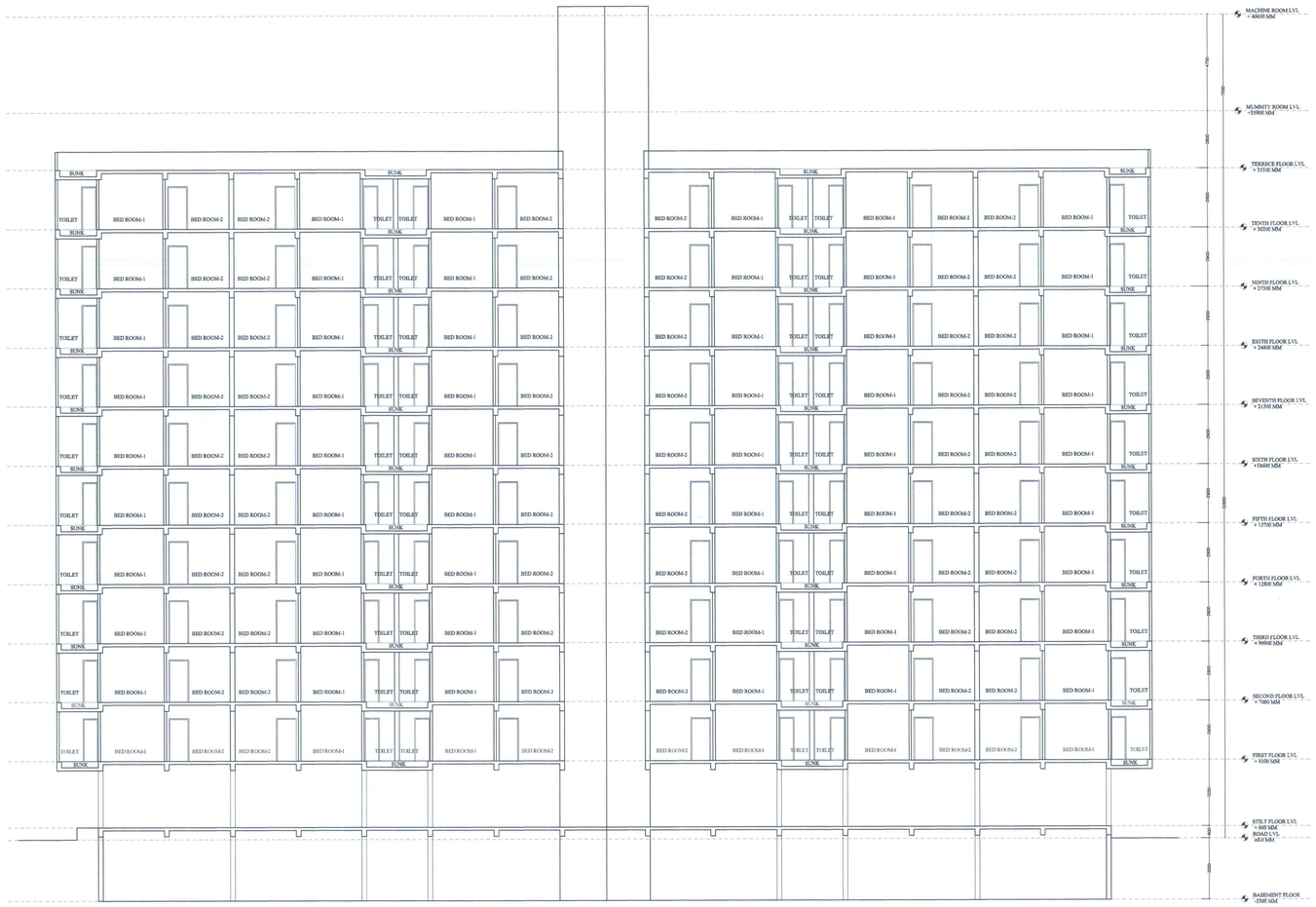

SECTION ON AA

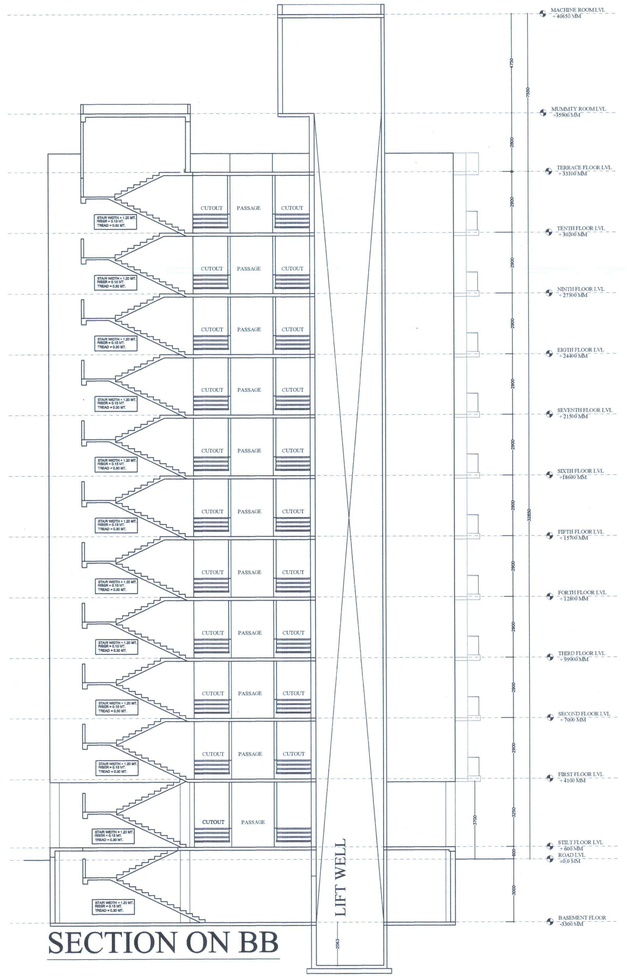

SECTION ON BB

In Compliance of Layout Plan/ Building Plan Committee Dt. 21/8/12
One Set of Building Plans Approved is Issued Along With Letter No. 2231 Dt. 21/8/12

Parking Area Will Be UTI's Property

सौर ऊर्जा से पानी गरम करने का नियमानुसार प्रावधान किया जावे।

अनुमोदित

"जारी किये गये अनुमोदित मान-चित्रों में दर्शाये गये भवन निर्माण की संरचना (STRUCTURE) का दायित्व वास्तु का ही होगा।"

नियमबद्ध

Applicants Should get the construction checked at plinth level before proceeding for further construction.

THESE PLANS ARE VALID ONLY UPTO FIVE YEAR FROM DATE OF ISSUE (11.09.2017)

पार्किंग क्षेत्र का उपयोग केवल पार्किंग हेतु किया जायेगा।

Adequate Light and Vantilation to be Provided as per N.B.C. Norms.

विद्युत सेफ्टी, लिफ्टकर्टी एवं अन्य, भवन निर्माण संबंधी नेशनल बिल्डिंग कोड ऑफ इण्डिया के प्रावधानों को अनुसार होंगी।

Rain Water Harvesting Unite Shall be Provided as per Rules.

इस मानचित्र का अनुमोदन किसी भी भांति प्रशनगत भूमि/भूखण्ड के प्राप्ति स्वामित्व का प्रमाण-पत्र नहीं माना जावेगा और न ही उक्त जिसे के सम्बन्धित अधिकारी को प्रमाणित होगा।

बिजली सेफ्टी में लिफ्टकर्टी एवं, लिफ्ट, मल, निकास आदि शामल आदि होंगी भोपाल बिल्डिंग कोड ऑफ इण्डिया को प्रावधानों तथा विनियमों के प्रावधानों/सम्बन्धित नियमों के प्रावधानों को सुनिश्चित किया जावेगा।

नगर विकास न्यास, भिवाड़ी भवन विनियम 2010 की धारा 8.13 के नियम निर्देशों के अनुसार पार्थिजक लेखपत्र का प्रस्तुतीकरण न में विशेष प्रावधान दत्त आय अधिकार न० वि० न्यास द्वारा भवन निर्माण के विकट नियमानुसार कार्यवाही की जायेगी।

भारत सरकार की अधिसूचना दिनांक 14.09.2006 की धारा में दर्शाये अनुसार के अतिरिक्त दिनांक 04.02.2011 के अनुसार [illegible] 3% का निर्माण प्रारम्भ [illegible] "पर्यावरण प्रबन्धन योजना" अनुमति प्रस्तुत करने के बाद प्रारम्भ हो जाना अनिवार्य होगा।

पेड़ लगाओ-हरियाली बढ़ाओ

सहायक नगर नियोजक तृतीय विकास न्यास, भिवाड़ी

उपनगर नियोजक नगर विकास न्यास भिवाड़ी

वरिष्ठ नगर नियोजक नगर विकास न्यास भिवाड़ी (अलवर)

SHEET NO. - 8

TITLE :-
SECTION (MIG-B)

TITLE:- SUBMISSION DRAWINGS

SECTION (MIG-B)

SCALE - 1: 100 DATE : 27-07-12

PROJECT:-
HOUSING AT KOTKASIM, ALWAR

NORTH :

ARCHITECTS :-
YASHI CONSULTING SERVICES PRIVATE LIMITED
D-44, SUBHASH MARG
C-SCHEME
JAIPUR-302001

OWNER
For Sun System Institute of Information Technology Private Limited
Chairman/Director
M/S SUN SYSTEM INSTITUTE OF INFORMATION & TECHNOLOGY (P) LTD.

ARCHITECTS
Ar. KAVITA JAIN
CA/96/20258

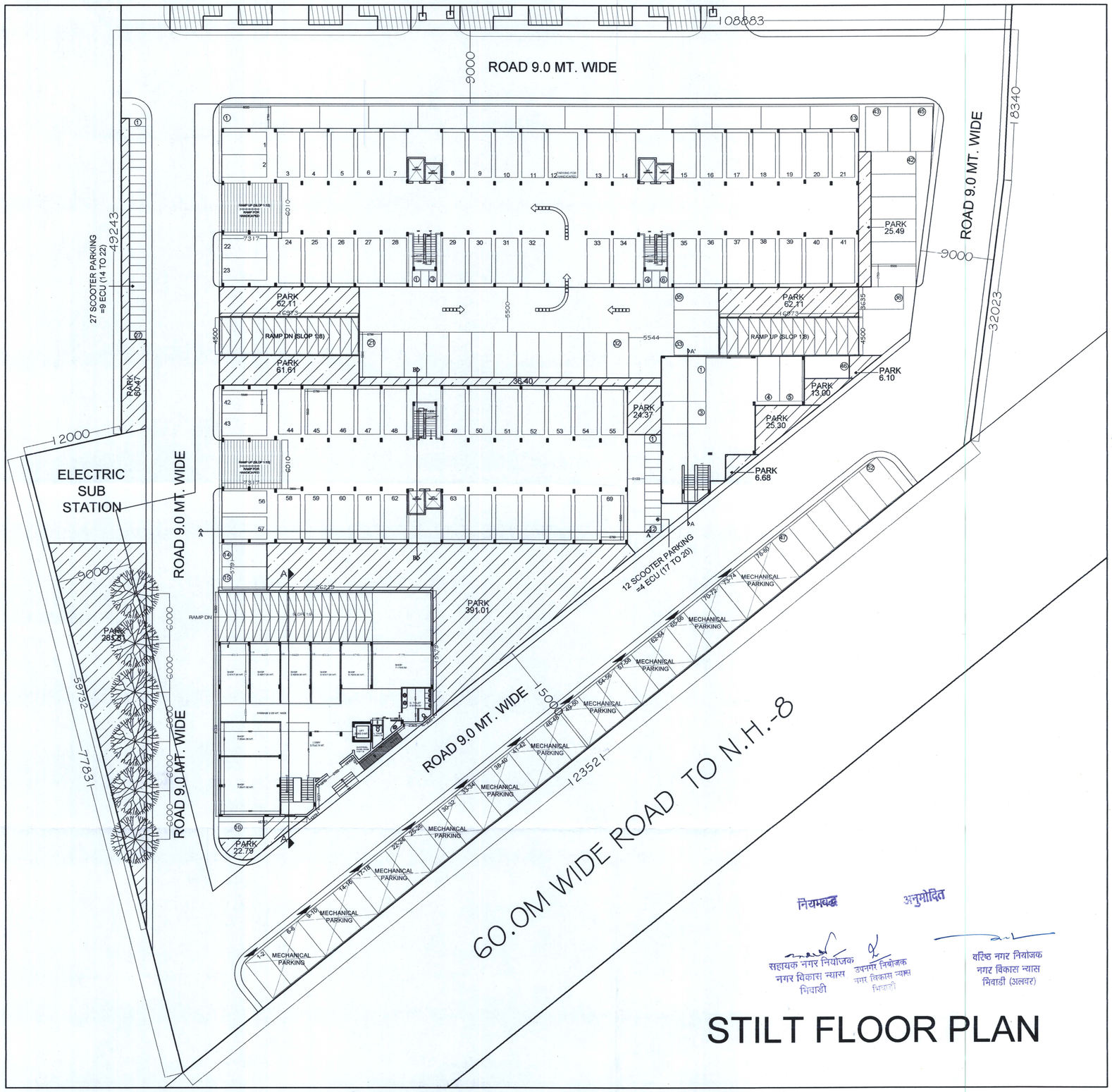

STILT FLOOR PLAN

In Compliance of Layout Plan/ Building Plan Committee Dt. 31-07-12 One Set of Building Plans Approved is Issued Along-With Letter No. 2271/12 Dt. 21-08-12

THESE PLANS ARE VALID ONLY UPTO FIVE YEAR FROM DATE OF ~~ISSUE~~ 11-09-11

Adequate Light and Vantilation to be Provided as per N.B.C. Norms.

पार्किंग क्षेत्र का उपयोग केवल पार्किंग हेतु किया जावेगा।

"जारी किये गये अनुमोदित मान-चित्रों में दर्शाये गये भवन निर्माण की संरचना (STRUCTURE) का दायित्व प्रार्थी का ही होगा।"

Applicants Should get the construction checked at plinth level before proceeding for further construction.

विद्युत सेवा, नलकारी एवं जल, मल निकास सेवाएं नेशनल बिल्डिंग कोड ऑफ इण्डिया के उपबंधो के अनुसार होगी।

Parking Area Will Be UTI's Property

सौर ऊर्जा से पानी गरम करने का नियमानुसार प्रावधान किया जावे।

Rain Water Harvesting Unite Shall be Provided as per Rules.

इस मानचित्र का अनुमोदन किसी भी भांति प्रशासगत भूमि/भूखण्ड के प्राप्ति स्वामित्व का प्रमाण-पत्र नहीं माना जावेगा। और न ही इससे किसी के स्वामित्व सम्बन्धी अधिकारी ही प्रभावित होंगे।

विद्युत सेवा में नलकारी एवं,जल, मल, निकास अग्नि शमन आदि सेवायें नेशनल बिल्डिंग कोड ऑफ इण्डिया के प्रावधानों/भवन विनियमों के प्रावधानों के सम्बन्धित विभागो के प्रावधानों को सुनिश्चित किया जायेगा।

नगर विकास न्यास, भिवाड़ी भवन विनियम 2000 की धारा 8.15 के दिशा निर्देशों के अनुसार वर्षाजल संग्रहण का उपबंध्ा भवन में विशेष प्रावधान रखा जावें अन्यथा न० वि० न्यास द्वारा भवन निर्माता के विरूद्ध नियमानुसार कार्यवाही की जावेगी।

भारत सरकार की अधिसूचना दिनांक 14.09.2006 की धारा में राज्य सरकार के परिपत्र दिनांक 04.02.2011 के अनुसार 20000 वर्ग मीटर से अधिक का निर्माण प्रारम्भ करने से पूर्व "पर्यावरण प्रमाण पत्र" अनापत्ति प्रमाण पत्र आवेदक द्वारा प्राप्त किया जाना अनिवार्य होगा।

पेड़ लगाओ-हरियाली बढ़ाओ

नियमबद्ध

सहायक नगर नियोजक
नगर विकास न्यास
भिवाड़ी

अनुमोदित

उपनगर नियोजक
नगर विकास न्यास
भिवाड़ी

वरिष्ठ नगर नियोजक
नगर विकास न्यास
भिवाड़ी (अलवर)

SHEET NO. - 02

TITLE :-
STILT FLOOR PARKING PLAN

TITLE:- SUBMISSION DRAWINGS

STILT FLOOR PARKING PLAN

SCALE:- 1: 250 | DATE : 3-08-12

PROJECT:-
HOUSING AT KOTKASIM, ALWAR

NORTH :

ARCHITECTS:-

YASHI CONSULTING SERVICES PRIVATE LIMITED
D-44, SUBHASH MARG
C-SCHEME
JAIPUR-302001

OWNER

For Sun System Institute of Information Technology Private Limited
Chairman/Director

M/S SUN SYSTEM INSTITUTE OF INFORMATION & TECHNOLOGY (P) LTD.

ARCHITECTS

AR. KAVITA JAIN
CA/96/20290